संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये,मध्यप्रदेश

दीनदयाल चलित अस्पताल योजना के पुनरीक्षित दिशा निर्देश

प्रदेश में दीनदयाल चलित अस्पताल वर्ष 2006 में प्रारंभ किये गये थे।प्रथम चरण में 11 विकासखण्डों में यह योजना लागू की गई थी । अब तक प्रदेश के सभी आदिवासी विकासखण्डो में दीनदयाल चलित अस्पताल संचलित किये जा रहे थे। हाल ही में योजना का विस्तार कर चिन्हांकित अनुसूचित जाति बहुल विकासखण्डों को भी सम्मिलित किया गया है। योजना के पुनरीक्षित दिशा निर्देश निम्नानुसार हैः–

जिला संकुल व्यवास्था

प्रदेश में जिन विकासखण्डों मे योजनान्तर्गत चलित अस्पतालों का संचालन किया जायेगा उन्हे जिला संकुलो में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जिला संकुल के प्रत्येक विकास खण्ड में एक दीनदयाल चलित अस्पताल संचालित किया जायेगा,डिण्डोरी जिले के बैगा –चक क्षेत्र मे एक विशेष चलित अस्पताल संचालित किया जायेगा । एक जिला संकुल मे दीनदयाल चलित अस्पताल की सभी इकाईयां एक ही संस्था द्वारा संचालित की जायेगी । प्रदेश मे निम्नानुसार 10 जिला संकुल बनाये गये है।

जिला संकुल क्रमांक	जिला संकुल में सम्मिलित जिलों के नाम	चलित अस्पतालों की संख्या
1	झाबुआ ,अलीराजपुर	12
2	धार	12
3	खरागौन,बडवानी	14
4	मण्डला ,डिण्डोरी	17
5	शहडोल,अनूपपुर,उमरिया ,सीधी	10
6	बालाघाट,सिवनी	10
7	बैतूल,बुरहानपुर,खण्डवा ,होशंगाबाद ,छिन्दवाडा	14
8	ग्वालियर ,श्योपुर ,दतिया,भिण्ड,अशोकनगर	10
9	छतरपुर ,टीकमगढ,सागर सतना	11
10	उज्जैन,रतलाम,इन्दौर,शाजापुर,देवास ,सीहोर	13
	कुल	123

चयनित विकासखण्डों के नाम निम्नानुसार हैः–

संकुल क्रमांक	जिले का नाम	चयनित विकासखण्ड जिनमें चलित अस्पताल संचालन किया जाना है।
1.	अलीराजपुर	सोंडवा,भावरा,उदयगढ,जोबट,कट्ठीवाड़ा,अलीराजपुर
	झाबुआ	पेटलावद,झाबुआ,मेघनगर,थांदला,रानापुर,रामा
2	धार	सरदापुर,नालछा,मनावर,गंधवानी,धर्मपुरी,धार ,डही,बाग,निसरपुर,बाकानेर(उमरवन),कुक्षी,तिरला
3.	खरगौन	खरगौन,गौगांवा,भगवानपुरा,सेगांव,भीकगांव,झिरनिया,महेश्वर
	बड़वानी	बड़वानी,पाटी,ठीकरी,राजपुर,पानसेमल,सेंधवा,निवाली
4	मण्डला	मण्डला,नैनपुर,बिछिया,निवास,नारायणगंज,बीजाड़ाडी,मवई,मौहगांव,घुघरी
	डिण्डौरी	बजाग,डिण्डौरी,अमरपुर,करन्जिया,समनापुर,मेहदवानी,शाहपुर,(बैगा–चक क्षेत्र में 01 विशेष इकाई)
5	शहडोल	बुढ़ार,सोहागपुर,पाली,जयसिंहनगर
	टनूपपुर	पुष्पराजगढ़,अनूपपुर,कौतमा,जैतहरी
	उमरिया	पाली
	सीधी	कुसमी
6	बालाघाट	बिरसा,परसवाड़ा,बैहर,लांजी,किरनापुर
	थ्सवनी	कुरइ,लखनादौन,छपारा,धनसौर,धनौरा
7	बैतूल	भीमपुर,बैतुल,चिचौली,शाहपुर,घोड़ाडोंगरी,भैंसदेही,आठनेर
	ब्रहानपुर	खकनार
	खण्डवा	खालवा
	होशंगाबाद	केसला
	छिन्दवाड़ा	तामिया,जामई,बिछुआ,हर्रई
8	ग्वालियर	भितरवार,डबरा,मुरार
	श्यौपुर	कराहल
	अशोकनगर	अशोकनगर
	दतिया	दतिया,भांण्डेर,सेवड़ा
	भिण्ड	लहार,गौहद
9	छतरपुर	लौण्डी,गौरीहार,नौगांव,बडा मलेहरा
	टीकमगढ़	निवाडी,पलेरा
	सगर	खुरई,सागर,जयसिंहनगर
	स्तना	सतना,नागोद
10	उज्जैन	तराना,खाचरौद,घटिया,उज्जैन,महिदपुर
	श्रतलाम	बाजना,सैलाना,जावरा
	इन्दौर	सांवेर
	शाजापुर	आगर,मोमन बडोदिया
	छेवास	सोनकच्छ
	सीहोर	आष्टा

योजनान्तर्गत दीनदयाल चलित अस्पतालों का संचालन अशासकीय संस्थाओं द्वारा किया जायेगा जिनका चयन राज्य स्तर से किया गया है। उपरोक्त प्रत्येक जिला संकुल में एक ही संस्था को सेवाओं के संचालन हेतु चयनित किया गया है। चयनित संस्थाओं का विवरण एवं कार्यादेश की प्रतिलिपि जिलों को पृथक से प्रेषित की जा रही है।

अनुबंधित संस्था की भूमिका

किया जायेगा। चयनित संस्थाओं के साथ अनुबंध राज्य स्तर पर किया जायेगा जिसकी प्रति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजी जायेगी। अनुबंध के प्रावधान अनुसार दीनदयाल चलित अस्पताल की सेवाओं का संचालन

सेवा अनुबंध की अवधि सेवा प्रारम्भ होने के दिनांक से 3 वर्ष की होगी। अनुबंधित संस्था द्वारा उपयोग की जाने वाले वाहन, सामग्री एवं उपकरणों के पी.ओ.एल. संचालन,संधारण संबंधी समस्त व्यय एवं वाहन का बीमा तथा मानव संसाधन संबंधी अमले से संबंधित समस्त व्यय भार अनुबंधित संस्था ही वहन करेगी।अनुबंधित संस्था अनुबंध अवधि में इस वाहन एवं अमले का बिना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के किसी भी अन्य प्रकार की सेवाओं में उपयोग नहीं कर सकेगी।

सभी उपकरण, सामग्री व औषधियॉ अनुबंध के दौरान हर समय उपलब्ध होना अनिवार्य है। अनुबंधित संस्था प्रदाय की जाने वाली सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लेगी तथा आवश्यक दवाईयों की सूची (Essential Drug List) में उल्लेखित दवाईयां भी मरीजो को निःशुल्क उपलब्ध करायेगी। अनुबंधित संस्था द्वारा मोबाईल हेल्थ यूनिट के संचालन में नियोजित अमले, उपयोग किये जाने वाले वाहन, उपकरणो का विवरण संचालन के पूर्व स्वास्थ्य विभाग को देना होना तथा इनमें होने वाले परिवर्तन की अनुमति संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त करनी होगी। यदि बिना अनुमति के परिवर्तन किया जाता है तो इसे अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन माना जाएगा।

प्रदाय की जाने वाली सेवाऐं

दीनदयाल चलित अस्पताल योजना के अन्तर्गत मोबाईल हेल्थ यूनिट द्वारा निम्न सेवायें प्रदान की जायेंगी। :–

1. चिकित्सकीय परीक्षण, परामर्श एवं सामान्य बीमारियों का उपचार।
2. आवश्यक दवाईयों का वितरण।
3. जटिल स्वास्थ्य संबंधी प्रकरणों की पहचान एवं आवश्यक उपचार हेतु उचित स्तर पर मरीजों को रेफर करना।
4. परिवार नियोजन : गर्भनिरोधक गोली(ओसीपी), आपात् गर्भनिरोधक गोली (ईसीपी), कंडोम आदि का वितरण, डिपो धारक तथा आशा से समन्वय, आईयूडी निवेशन,नसबंदी हेतु प्रेरित करना।
5. टीकाकरण के मोपअप राउण्ड।
6. कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य एवं उचित रेफरल।
7. माताओं का प्रसव पूर्व तथा प्रसव पश्चात् स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यक दवाईयों का वितरण एवं टीकाकरण।
8. किशोरवय बालिकाओं एवं बालकों की स्वास्थ्य जॉच तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा।
9. मलेरिया जॉच हेतु रक्त पट्टी संग्रहण एवं मलेरिया व अन्य वेक्टर जनित रोगों का उपचार।
10. टीबी हेतु खखार पट्टी संग्रहण तथा जाँच, डाट्स प्रदायकर्ता से समन्वय।
11. रक्त एवं मूत्र परीक्षण एवं अन्य सामान्य प्रयोगशाला परीक्षण।
12. शासन के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।
13. स्वास्थ्य शिक्षा से जुडे विभिन्न विषयों की जानकारी समुदाय को देना।
14. विशेष परिस्थितियों में यथा–प्राकृतिक आपदा,मेले आदि की स्थिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/कलेक्टर/संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं के निर्देशानुसार चयनित विकासखण्डों/ जिले के बाहर भी सेवाऐं उपलब्ध करानां
15. समय–समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप सेवा प्रदायगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सेवा प्रदायगी में कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों एवं प्रोटोकॉल के अनुरूप उपचार सुनिश्चित करना होगा।

मानव संसाधन

प्रत्येक मोबाईल हेल्थ यूनिट में निम्न अमला नियुक्त किया जायेगा। :–

1. चिकित्सक (न्यूनतम एम.बी.बी.एस. उपाधिधारी) : एक
2. लेबोरेटरी टेक्निशियन : एक
3. स्टाफ नर्स / ए.एन.एम. (महिला) : एक
4. वाहन चालक : एक

मोबाईल हेल्थ यूनिट के संचालन हेतु आवश्यक अमले को नियोजित करने का दायित्व संबंधित संस्था पर ही होगा और इस अमले की नियोजक भी संबंधित संस्था ही होगी। स्वास्थ्य विभाग पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। अनुबंधित संस्थाका यह दायित्व होगा कि इस अमले के नियोजन में विधि एवं शासन द्वारा अपेक्षित सभी व्यवस्थाओं का पालन करें। नियुक्त किये जाने वाले अमले की शैक्षणिक योग्यता, पंजीयन आदि निम्नानुसार होना चाहिए :–

क्र	कर्मचारी	न्यूनतम आवश्यक अर्हता
1	चिकित्सक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एम., किसी प्रदेश मेडिकल काउंसिल का पंजीयन, अधिकतम आयु 50 वर्ष
3	लेबोरेटरी टेक्निशियन	मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का पंजीयन एम.एस. ऑफिस में दक्षता अधिकतम आयु 50 वर्ष
4	वाहन चालक	मध्यप्रदेश में वाहन चालन हेतु आवश्यक लाईसेंस

अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात चयनित उम्मीदवारों को उनके मूल अभिलेखों के सत्यापन तथा पहचान के बायोमेट्रिक विवरण की जानकारी देने हेतु सम्बंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा। स्वास्थ्य विभाग अुनबंधित संस्था द्वारा नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता ,अनुभव आदि के अभिलेखों का सत्यापन करेगा तथा अभिलेखों की प्रतिलिपियां सुरक्षित रखेगा। स्वास्थ्य विभाग अनुबंधित कर्मचारी के पहचान का विवरण यथा हस्ताक्षर,फोटोग्राफ,अंगूठे/अंगुलियों के निशान,पुतलियों के प्रतिबिम्ब आदि बायोमेट्रिक विवरण सुरक्षित रखेगा तथा उसे इस विवरण द्वारा नियुक्त अनुबंधित संस्था के किसी भी कर्मचारी की पहचान सत्यापित करने का अधिकार

होगा। उक्त विवरण की एक प्रति अनुबंधित संस्था द्वारा अपने पास रखी जाएगी। बायोमेट्रिक विवरण के संधारण एवं उपयोग संबंधी निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे है।

अनुबंधित संस्था अनुबंधित कर्मचारी को पहचान पत्र जारी करेगी।इस पहचान –पत्र को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।चलित अस्पताल के संचालन के दौरान प्रत्येक कर्मचारी के पास यह पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।

वाहन

मोबाईल हेल्थ यूनिट टाटा 407,स्वराज माजदा,फोर्स मोटर्स,आयशर अथवा समकक्ष नवीन वाहन का ही उपयोग किया जा सकेगा।निविदा प्रस्तुत करने के समय नवीन वाहन का पंजीयन 6 माह से अधिक पुराना नही होना चाहिए।वाहन अनुबंधित संस्था को ही उपलब्ध कराना होगा तथा वाहन की आन्तरिक व बाहय साज–सज्जा निर्धारित डिजाइन पर की जाना होगी। मोबाईल हेल्थ यूनिट सेवा अनुबंध के अनुलग्नक–1 अनुसार फर्नीचर तथा उपकरणों से सुसज्जित होगी। पूर्ण रुप से तैयार वाहन को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाना होगा। वाहन की साज–सज्जा,व्यवास्था,उपकरण,फर्नीचर,औषधियों आदि की उपलब्धता अपेक्षा अनुसार होने पर ही वाहन का उपयोग मोबाईल मेडिकल हेल्थ यूनिट हेतु किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। वाहन के पंजीयन,बीमा एवं संधारण का दायित्व अनुबंधित संस्था का होगा।

वाहन आदि के निरीक्षण के संबंध मे निर्देश पृथक से जारी किये जायेगे।

अनुबंधित संस्था को मोबाईल यूनिट के वाहन सूचना का प्रदर्शन स्वास्थ विभाग के निर्देशों के अनुरुप करना होगा। अनुबंधित संस्था अपने नाम,ब्रांड तथा विभाग क` अतिरिक्त अन्य कोई सूचना वाहन पर प्रदर्शित नही कर सकेगी।

उपकरण एवं औषधियाँ

मोबाईल हेल्थ यूनिट में अनुबंधित संस्था अनुलग्नक–1 अनुसार फर्नीचर व उपकरण तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यक दवाईयो की सूची मे सम्मिलित उन सभी दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी,जो अनुलग्नक –2 में वर्णित है। इसके साथ अनुबंधित संस्था ड्रेसिंग मटेरियल,इमरजेंसी किट आदि की व्यवास्था भी मोबाईल हेल्थ यूनिट में सुनिश्चित करेगी । इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी कुछ औषधियॉ उपलब्ध कराई जायेगी

जिसकी सूची अनुलग्नक –3 पर संलग्न है। यह औषधियॉ संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। ये दवाईयां प्रथम बार तीन माह की मांग के अनुरुप अनुबंधित संस्था आवश्यकतानुसार प्रतिमाह दवाईयों को स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त करेगी ।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का यह दायित्व होगा कि संस्था द्वारा माग पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिमाह उक्त औषधियां/सामग्री उपलब्ध कराये।

<u>प्रचार –प्रसार सामग्री</u>

विभाग प्रचार–प्रसार सामग्री अनुबंधित संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी जिसका उपयोग प्रचार –प्रसार सत्रों के लिए किया जा सकेगा।इस समग्री के अतिरिक्त अन्य किसी प्रचार–प्रसार सामग्री का उपयोग विभाग की अनुमति के बिना नही किया जा सकेगा।यह सामग्री संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संचालनालय से समन्वय कर सामग्री उपलब्ध कराये।

<u>सेवा उपलब्ध कराने का तरीका :</u>

अनुबंधित संस्था को जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नियत भ्रमण कार्यक्रम के अनुरुप चयनित स्थल /स्थलों पर 08 घण्टे प्रतिदिन सेवा प्रदान करना होगी । मोबाईल हेल्थ यूनिट विकासखण्ड मुख्यालय पर स्थित स्वास्थ्य केन्द्र पर खडी रहेगी ।तथा प्रतिदिन प्रातः9 बजे से सायं 6 बजे तक दो से तीन ग्रामों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायेगी। आवश्यक होन पर निर्धारित समय के अलावा भी सेवा प्रदान करना होगी ।

- उक्त सेवायें चयनित विकासखण्ड में सुदूर ग्रामों में उपलब्ध कराई जायेगी जिनमें चिकित्सक की सेवायें उपलब्ध नही है। प्रत्येक चयनित ग्राम में सप्ताह के एक निश्चित दिन व समय चलित अस्पताल द्वारा सेवायें प्रदान की जायेगी ।सेवा प्रदाय हेतु विकासखण्ड के दूरस्थ एवं पहुंचविहीन ग्रामों को चिन्हित किया जाकर उन्ही के अनुरुप रुट चार्ट बनाया जाएगा।
- चिन्हित ग्राम में प्रति सप्ताह निश्चित दिन व समय सेवायें उपलब्ध कराई जा सके।
- सेवा प्रदायगी हेतु रुट चार्ट के अनुरुप सेवा प्रदाय करना अनिवार्य होगा ।

- मंगलवार एवं शुक्रवार के दिन सिर्फ ऐसे ग्रामों को रुट चार्ट में सम्मिलित किया जाएगा ,जहां ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजित किया गया हो।
- सप्ताहह के अन्य दिनों मूं पहुंचविहीन ग्रामो /उपस्वास्थ्य केन्द्रो को सेवा प्रदायगी हेतु सम्मिलित किया जाएगा।
- एक दिन में न्यूनतम दो व अधिकतम चार ग्रामों में सेवायें दी जायेगी ।सेवा प्रदान करने का समय सामान्यतः 09 बजे से सायं 06 बजे तक होगा ,जिससे न्यूनतम 01 घण्टे का व अधिकतम 1:30 घण्टे का भोजन अवकाश सम्मिलित होगा।

प्रतिदिन रोगियों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त स्वास्थ्य शिक्षा/प्रचार प्रसार के सत्र भी आयोजित करना होगा । ग्राम में चयनित स्थान उपयुक्त संकेत चिन्ह लगाये जाना होगें जिससे हितग्राहि को दिन व समय की जानकारी को सके । वाहन के साथ कैनोपी,टेन्ट,दरी आदि की व्यवस्था करनी होगी जिससे सुविधापूर्वक शिविर आयोजित किये जा सके।

<u>भ्रमण कार्यक्रम</u>

अनुबंधित संस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये भ्रमण कार्यक्रम के नियत स्थानो पर आम जनता को सेवायें उपलब्ध करायेगी । भ्रमण कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संस्था अपने स्तर पर नही करेगी। इस प्रकार का परिवर्तन अनुबंध के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाएगा। चलित अस्पतालों का भ्रमण कार्यक्रम व रुट चार्ट निम्नानुसार तैयार किया जाये :–

1. निम्नलिखित ग्रामों को सम्मिलित न किया जायेः

I. विकासखण्ड मुख्यालय के ग्राम ।

II. ऐसे ग्राम जहॉ सामुदायिक /प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक पदस्थ है।

III. विकासखण्ड मुख्यालय से 15 कि.मी से कम दूरी के ग्राम ।

2. ऐसे ग्रामो का चयन सेवाओ हेतु किया जाये जहॉ वाहन के जाने योग्य सडक हो तथा जहॉ आस–पास कें ग्रामो के रोगियों को पहुॅचने में सुविधा हों ।

3. सप्ताह के प्रत्येक दिन पृथक मार्ग पृथक मार्ग पर दो से तीन ग्रामो का चयन किया जाये चयनित ग्रामो में 5 हजार से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम में लगभग 3 घण्टे तथा छोटे ग्राम में 2 घण्टे का समय भ्रमण कार्यक्रम में निर्धारित किया जायें। यदि चयनित मार्ग में एक भी ग्राम 3हजार से अधिक जनसंख्या वाला न हो तो चार ग्रामों का भी चयन किया जा सकता है।

4. उपरोक्तानुसार सोमवार से शनिवार तक का दैनिक भ्रमण कार्यक्रम तैयार किय जाये।

5. मगंलवार व शुक्रवार को कम से कम दो ग्रामों का चयन किया जाये जहॉ ग्राम स्वास्थ्य व पोषण दिवस आयोजित किया जाता है।

6. उपरोक्तानुसार भ्रमण कार्यक्रम तैयार कर जिलरा स्वास्थ्य समिति का अनुमोदन प्राप्त कर संचालनालय को प्रेषित किया जाये।

7. साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम में सामान्यतः कोई परिवर्तन नही किया जायेगा । यदि विशेष परिस्थिति में परिवर्तन आवश्यक हो तो जिला स्वास्थ्य समिति की अनुशंसा तथा संचालनालय की सहमति के बाद ही परिवर्तन किया जा सकेगा ।

8. प्रत्येक चयनित ग्राम मे चलित अस्पताल के खडे होने का स्थान भी तय किया जाये। यदि चयनित ग्राम में उपस्वास्थ्य केन्द्र अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है तो उसमें परिसर में ही चलित अस्पताल की सेवायें दी जायेगी । यदि स्वास्थ्य केन्द्र नही है। ंतो किसी प्रमुख स्थान यथा पंचायत भवन ,आंगनबाडी केन्द्र आदि के परिसर मे चलित अस्पताल की सेवायें प्रदान की जायेगी ।

9. हाट बाजार में दीनदयाल चलित अस्पताल की सेवायें नही दी जायेगी । अतः जिस दिन किसी ग्राम में हाट का दिन हो उस दिन चलित अस्पताल का भ्रमण नही रखा जाये।

न्यूनतम सेवा मानक

मोबाइल हेल्थ यूनिट द्वारा चयनित क्षेत्र में न्यूनतम सेवा मानक निम्नानुसार होगें।

- माह में कम से कम 26 दिन सेवाओं का संचालन ।
- मरीजों को चिकित्सीय परामर्श,उपचार एवं दवाईयों का वितरण औसतन 75 मरीज प्रतिदिन ।
- गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व तथा प्रसव पश्चात परीक्षण औसतन 300 परीक्षण प्रतिमाह।
- रक्त पटटी द्वारा मलेरिया की जॉच तथा खखार पटटी द्वारा टी.बी की जॉच औसतन 50 प्रतिमाह।
- स्वास्थ्य शिक्षा/स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रचार–प्रसार के संबंध में सम्बोधन /फिल्म प्रदर्शन प्रतिदिन 30–30 मिनट के दो सत्र।

  अनुबंधित संस्था द्वारा यथासंभव पैथोलाजी परीक्षण उपरांत रिर्पोट सेवा स्थल पर ही दी जाना चाहिए, जिससे रोगी को तुरन्त उपचार प्राप्त हो सके। किसी कारणवश ऐसा न कर पाने की स्थिति में जांच रिपोर्ट उस ग्राम के उपस्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध कराना होगा ।

सेवा प्रदायगी हेतु समन्वय

चलित अस्पताल संचालन हेतु अनुबंधित संस्था को चयनित विकासखण्ड में सेवा प्रदायगी हेतु संबंधित खंड चिकित्साधिकारी के समन्वय एवं निर्देशन में सेवा प्रदाय करनी होगी । ऐसे ग्राम जो उपस्वास्थ्य केन्द्र मुख्यालय पर उपस्थित नही है,वहां सेवा प्रदायेगी ग्राम सभा /आंगनबाडी केन्द्र पर प्रदाय करनी होगी एवं सेवा पंजी में आशा कार्यकर्ता अथवा स्वस्थ ग्राम सभा समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर कराना होगें।

उपस्वास्थ्य केन्द्र मुख्यालय पर स्थित ग्राम में उपस्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में ए.एन.एम एवं पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ समन्वय स्थापित कर सेवा प्रदाय की जाना होगी । सेवा प्रदायगी पंजी में ए.एन.एम /एम.पी.डब्ल्यू के हस्ताक्षर भी

कराना होगा । ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन प्रदाय सेवाओं का प्रमाणीकरण ए.एन.एम के द्वारा कराया जाना होगा ।

मॉनीटरिंग तंत्र

जिला मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ

अनुबंधित संस्था को जिला संकुल के प्रत्येक जिलें के मुख्यालय पर अपना कार्यालय स्थापित करना होगा जिसे जिला संकुल मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ कहा जायेगा तथा जिसमें अनुबंधित संस्था द्वारा निम्न अमला पदस्थ किया जायेगा –

समन्वयक	एक
डाटा एनालिस्ट	एक

जिला संकुल मॉनीटरिंग प्रकोष्**ठ जिला** संकुल के चलित अस्पतालों द्वारा प्रदाय की गई सेवाओं से संबंधित अभिलेखों को कम्प्यूटर द्वारा संधारित करेगा । संस्था को प्रतिदिन नियत प्रपत्र में जानकारी संबंधित क्षेत्र के खण्ड चिकित्सा अधिकारी तथा प्रति सप्ताह संबंधित जिले के मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रतिमाह राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराना होगी । यह जानकारी ई–मेल के माध्यम से प्रेषित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का यह दायित्व होगा कि अनके जिले में स्थापित मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ से समन्वय करे तथा वहॉ पदस्थ अमले का नाम,सम्पर्क विवरण संधारित करे। प्रति सप्ताह निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन तथा आवश्यकतानुसार अन्य जानकारी प्राप्त करने तथा संचालनालय को उपलब्ध कराने का दायित्व जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का होगा ।

जीपीएस मॉनीटरिंग

योजनान्तर्गत संचालित की जाने वाली सभी इकाइयों की मॉनीटरिंग जीपीएस प्रणाली द्वारा की जावेगी । इसके लिए राज्य मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ के द्वारा दरें निर्धारित की जाएगी एवं अनुबंधित संस्था को दिये गये स्पेसिफिकेशन्स एवं आवश्यकता के अनुरुप जी.पी.एस. लगाना अनिवार्य होगा । जी.पी.एस पर होन वाला व्यय संबंधित संस्था के

द्वारा वहन किया जाएगा । जी.पी.एस से संबंधित मॉनीटरिंग से संबंधित निर्देश पृथक से भेजे जायेगें।

अभिलेख

अनुबंधित संस्था को नियम प्रारुप में अभिलेखों का संधारण कम्प्यूटर के माध्यम से करना होगा । इसके लिए आवश्यक कम्प्यूटर /लैपटाप,स्टेशनरी आदि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अनुबंधित संस्था की होगी । साप्ताहिक प्रतिवेदनों की हार्ड कापी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मासिक आधार पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के संबंध में अनुबंधित संस्था द्वारा प्रत्येक मोबाईल हेल्थ यूनिट में भी सभी निर्धारित अभिलेखों का साधारण किया जायेगा ।

अभिलेखों तथा प्रतिवेदनों के प्रारुप की हार्ड एवं साफ्ट कापी शीघ्र ही जिलों को उपलब्ध कराई जा रही है।

गुणवत्ता प्रबंधन

चलित अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जायेगा इस हेतु समय –समय पर प्राप्त प्रतिवेदनों तथा जी.पी.एस के माध्यम से प्राप्त जानकारी का उपयोग किया जायेगा । गुणवत्ता मानको एवं सूचकांको का विवरण पृथक से भेजा जायेगा ।

निरीक्षण :

अनुबंधित संस्था द्वारा दी जा रही सेवाओं के निरीक्षण करने /जानकारी करने का अधिकार संचालक,स्वास्थ्य सेवाऐं अथवा जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी /सलाहकार को होगा । योजना के सुचारु संचालन हेतु विभिन्न अधिकारीयों द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था होगी जिसके मानक निम्नानुसार होगे–

खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा साप्ताहिक निरीक्षण ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा माह में एक बार ।

- इसके अतिरिक्त समय –समय पर जिला संभाग /राज्य स्तर से अधिकृत अधिकारी/सलाहकार द्वारा ।

- शिकायत प्राप्त होन की स्थिति में संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा नामाकिंत अधिकारी द्वारा ।

अनुबंधित संस्था द्वारा निरीक्षण पंजी संधारण किया जायेगा जिसमें निरीक्षण के लिए निरीक्षकर्ता अधिकारी द्वारा टीप अंकित की जायेगी । इस अंकित की गई टीप पर आवश्यक कार्यवाही अनुबंधित संस्था को एक सप्ताह में करनी होगी ।

प्रशिक्षण :

चलित अस्पताल में पदस्थ किये जान वाले चिकित्सकों तथा समस्त अमलें को आवश्यक प्रशिक्षण समय–समय पर दिया जाएगा । प्रथम माह मार्च –अप्रैल 2011 में अपेक्षित है जिसके निर्देश व सूचना पृथक से भेजी जायेगी ।

भुगतान

अनुबंधित संस्था द्वारा प्रदान की गई सेवाओं लिए संस्था को भुगतान राज्य स्तर से किया जायेगा । जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर इकाईवार गणना कर प्रत्येक जिला संकुल के लिए एकजाई रुप से प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा ।भुगतान देयक निर्धारित प्रपत्र में ओ.पी.डी रजिस्टर ,रेफरल फार्म ,औषधियों के स्टाक की जानकारी लॉगबुक की छायाप्रति आदि अभिलेख संलग्न कर खण्ड चिकित्सा अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा । खण्ड चिकित्सा अधिकारी सत्यापन कर मूल अभिलेखों सहित भुगतान देयक अभिप्रमाणित कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित करेगें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित देयक प्राप्त होने पर राज्य स्तर से भुगतान किया जायेगा । इस संबंध में देयक नियत प्रारुप में अनुबंधित संस्था द्वारा खण्ड चिकित्सा अधिकारी को अगले माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा । खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा 07 तारीख तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 10 तारीख तक अनिवार्यतः देयक भुगतान हेतु भेजना होगा।

दीनदयाल चलित अस्पताल के संचालन हेतु पूरे जिला संकुल के लिए वार्षिक अनुबंध राशि के आधार पर किया जायेगा । अनुबंध के प्रवाधन अनुसार जिला संकुल में सेवायें प्रदान करने तथा अन्य कार्यवाही करने पर अनबंधित संस्था को यह राशि प्राप्त करने

की पात्रता होगी । इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि संस्था को प्रदाय नही की जायेगी । भुगतान उपरोक्तानुसार मासिक आधार पर किया जायेगा ।

अर्थदण्ड :

यदि अनुबंधित संस्था द्वारा अनुबंध का पूर्णता : पालन नही किया जाता है तो अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार संस्था को अर्थदण्ड देना होगा । संस्था द्वारा संचालित जिस इकाई द्वारा अनुबंध का उल्लंघन किया जायेगा अथवा अनियमितता की जायेगी उस इकाई के भुगतान की गणना से अर्थदण्ड की राशि कटौत्रा की जायेगी ।

यदि अनुबंधित संस्था द्वारा नियत भ्रमण कार्यक्रम के अनुरुप भ्रमण नही किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रतिदिन सेवा प्रदाय में हुई त्रुटि /नुकसान के लिये रुपये 10,000/ का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा ।

मोबाईल हेल्थ यूनिट में पदस्थ एम.बी.बी.एस चिकित्सक के स्थान पर आयुष चिकित्सक अथवा कोई अन्य पैथी की योग्यता का चिकित्सक कार्य करता पाया जाने पर अथवा बिना चिकित्सक के चलित अस्पताल संचालन होना पाए जाने पर उस दिन की सेवा प्रदाय को मान्य नही की जायेगी । एवं रुपये 10,000 /—का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा । निर्धारित योग्यता के अलावा अन्य चिकित्सक द्वारा कार्य कराये जाने कि स्थिति में अनुबंध अवधि के दौरान तीन बार ही अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा तथा इसके बाद अनुबध निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

यदि मोबाईल हेल्थ यूनिट का कोई कर्मचारी अवकाश पर रहता है तो अनुबंधित सस्था द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। सेवा संचालन के दौरान निर्धारित संख्या एवं योग्यता का पैरामेडिकल अमला नही पाए जाने पर रुपये 2000/— प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा ।

यदि मोबाईल हेल्थ यूनिट में कोई उपकरण 7 दिवस से अधिक अवधि तक खराब रहता है। तो 7 दिवस पश्चात प्रत्येक कार्यदिवस हेतु 500/— प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा ।

अनुंबध का उल्लघंन

यदि अनुबंधित संस्था किसी भी कारण से लगातार 10 कार्यदिवस तक सेवा प्रदाय नही करती है तो यह माना जायेगा कि उसे कार्य करने में रुचि शेष नही रही है और इसे अनुबंध का उल्लघंन मानते हुये समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी । इसके बाद अगले कार्य दिवस से यदि स्वास्थ्य विभाग उचित समझेगा तो किसी अन्य फर्म से सेवा प्रदाय हेतु प्रावधानिक अनुबंध कर सकेगा ।

स्वास्थ्य विभाग अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन किये जाने पर अनुबंधित संस्था को नोटिस देकर 15 दिवस मे स्थिति स्पष्ट करने का अवसर देगा। व स्पष्टीकरण को समाधानकारक न पाने पर अनुबंधित संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये संचालक,स्वास्थ्य सेवायें समक्ष अधिकारी होगे।

अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन करने पर अनुबंधित संस्था के विरद्ध शासन के द्वारा अधिकृत प्राधिकारी संचालक ,स्वास्थ्य सेवायें द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा, उनके संबंध में अनुबंधित संस्था द्वारा अपील प्रमुख सचिव /सचिव,मध्यप्रदेश शासन ,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समक्ष 30 दिवस में प्रस्तुत कर सकेगा।

अनुलग्नक–1

संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले उपकरणो एवं सामग्री की सूची

EQUIPMENTS			
1	Stethoscope	28	ENT and Eye examination kits
2	BP apparatus	29	First aid kit
3	Foetoscope	30	resuscitation kits
4	Sterilizer	31	Pregnacy tst kit
5	Torch	32	IUD insertion kit
6	Clinical Thermometer	33	Reagents for various tests
7	Knee hammer	34	Linen and rubber sheets
8	Measuring tape	35	Gloves
9	Nebulizer	36	Stationery
10	Suction apparatus	37	Fire extenguisher
11	Weighing	38	LCD television
12	machine(Adult)	39	DVD player
13	Oxygen Cylider & apparatus	40	Publice address system
14	Chemistry Analyser (Semi-auto)	41	Generator
15	Microscope binocular	42	Water storage device
16	Centrifuge machine	43	Storage bins for drugs
17	Counting Chamber		
18	Heamolobinometer		
19	Uristix		
20	Syringes and needles		
21	Suture instruments and material		
22	Vaginal specula		
23	Glass slides		
24	Ophthalmoscope		
25	Otoscope		
26	Needle cutter		
24	Dressing drums		

FURNITURE	
1	Doctors's Table
2	Laboratory Table
3	Chairs
4	Shelf / Racks
5	Portable Light
6	Equipment Bench / Table
7	Examination Table with step
8	Wash Basin
9	Screen
10	Dust bins: separate for infective and non-infective waste.
11	Tent
12	Carpet

संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली औषधियों की सूची

Sr.No	DRUG NAME & STRENGTH
1	Alprazolam Tab. 0.5mg
2	Albendazole Tab. 100mg
3	Amikacin Inj. 100, 250, 500 mg/2ml
4	Amilodopine Tab.5mg,10mg
5	Amoxicillin Cap. 250,500mg, Sup. 125mg/5ml
6	Ampicillin Inj.250,500mg/vial
7	Aspirin# Tab. 325 mg
8	B.C.G Vaccine IP(Freeze dried) Inj.
9	Calcium gluconate Inj. 10%, Tab. 500mg
10	Cetirizine Tab. 10 mg
11	Cipro Inj. 40 mg/ml,Ear/Eye drops(0.3%w/v)
12	CIPRO TZ (Ciprofloxacin 500 mg+Tinidazole 500 mg)
13	Ciprofloxacin Tab 250,500mg
14	Cloxacillin Cap. 500mg, powder for susp. 125mg/5ml
15	Cresol with soap Sol.
16	Dexamthasone sodium phosphate Inj 4mg /5ml
17	Dextrose Inj. 5%,10%
18	Dextrose with saline Inj. 5%+0.9%

19	Diazepam Inj. 5mg/ml, Tab. 5mg
20	Dicyclomine Tab. 10mg, Drops 100 mg/ml, Inj. 10mg/ml
21	Domperidone Susp.1mg/ml
22	Doxycycline Tab/Cap. 100mg
23	Epinephrine Hydrochloride Inj. 1mg/ml
24	Ethinyl oestradiol+levonorgestrel tab.30mcg+150mcg, Tab.30mcg+300mcg
25	Ethinyl oestradiol+norethisterone Tab 35mcg+1mg
26	Ethl Chloride Spray
27	Etophylline Inj.25mg/ml
28	Etophylline+theophylline Tab. 100mg(77+23mg), Tab. SR 300mg, Paed, Syp.(46.5+14mg/5ml), Inj.220 mg/2ml(169.4+50.6mg)
29	Ferrous sulphate Tab.200mg (equivalent to 60mg elemental iron)
30	Fluconozole Tab. 150mg
31	Folic acid Tab.1.5mg
32	Gamma benzene hexachloride Lotion 1%
33	Gention violet Crystals
34	Hydrochlorothiazide Tab. 50mg
35	Hydrocortisone sodium succinate inj. 100mg/vial
36	Hydrogen peroxide Sol. 20% w/v
37	Ibuprofen Tab.200,400mg, Susp. 100mg/5ml
38	Irom folic acid Tab. Ferrous sulphate exsiccated IP 333-335 mg (equivalent to 100mg of elemental iron)+ Folic acid IP 0.5mg, Tab. Ferrous sulphateexsiccated IP 67 mg

	(equivalent to 20 mg of elemental iron)+ Folicacid IP 0.5mg
39	Isoxsuprine Tab. 10mg, Inj. 5mg/ml
40	Lignocaine hydrochloride Inj.2
41	Magnesium hydroxide+aluminium hydroxide(625 mg+312 mg/5 ml),Tab(500mg+250mg)
42	Methyl ergometrine maleate Tab. 0.125mg,Inj. 0.2 mg/ml
43	Metoclopramide Tab. 10mg, Inj. 5mg/ml
44	Metronidazzole Tab.200,400mg, Susp.200mg/5ml, Inj. 500mg/100ml
45	Norfloxacin Tab.400 mg
46	ORS(WHO) Sodium Cholride 3.5g, Potassium Chloride 1.5g, Sodium Citrate2.9g,Dextrose 20g
47	Oxygen Inhal.
48	Paracetamol Tab.500mg, Syp. 125mg/5ml
49	Paraffine Liquid

50	Pheniramine maleate Inj.22.75mg/ml
51	Povidone iodine Sol. 5%, ointment 5%
52	Primaquin Tab. 7.5mg
53	Ringer lactate Inj.
54	Salbutamol Tab. 4mg,Syp. 2mg/5ml
55	Silver sulfadiazine Cream 1%
56	Spirit
57	Sulfadoxine+Pyrimethamine Tab. 500mg+25mg
58	Sulfamethoxazole+trimethoprim tab. 400mg+80mg, Tab.800mg+160mg,susp. 200mg+40mg in 5 ml, Tab.100mg+20mg
59	Tetanus toxiod Inj.
60	Tetracycline
61	Tincture benzoin Eye oint.1%
62	Vit. B1,B6,B12 Tab. 10mg+3mg+15mcg
63	Vit. C Tab. 100, 500mg
64	Water for injection Inj.
65	Xylometazoline Nasal drops 0.1, 0.5%

स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली औषधियो की सूची

ANTILEPROSY DRUGS

1.	Dapsone	tab 100 mg
2.	Rifamicin	tab/cap 300 mg ,600 mg
3.	Clofazamine	cap 50 , 100 mg

ANTI -PROTOZAL DRUGS

4.	chloroquine phosphate	tab250 mg
5.	Primaquine	tab 7.5

HORMONES, OTHER ENDOCRINE DRUGS AND CONTRACEPTIVE

CONTRACEPTIVES

6.	Ethiny oestradiol +northisterone	tab 35 mcg +1mg
7.	Ethiny oestradiol +leveonorgestrel	tab 30 mcg +150 mcg

IMMUNOLIGICAL AGENTS

8.	Tetanus toxiod	Inj.
9.	BCG vaccine ip	Inj.
10.	DPT vaccine ip	Inj.
11.	D.T. vaccine ip	Inj.
12.	Measles . vaccine ip	Inj.
13.	Poliomeyelitis . vaccine ip	Inj.

VITAMINS AND MINERALS

14.	VIT- A	Syp 10000 IU/ML